न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— भवानी सिंह, (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 159 / 2019

प्रार्थीगण	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
1. रविप्रकाश पुत्र शंकरलाल 2. हरिप्रकाश पुत्र शंकरलाल 3. दिनेशकुमार पुत्र शंकरलाल 4. दीपक कुमार पुत्र शंकरलाल 5. नीलम पत्नी जयप्रकाश 6. नीतिश पुत्र जयप्रकाश नाबालिग जरिये कुदरतीवली माता नीलम पत्नी जयप्रकाश 7. भंवरी देवी पत्नी शंकरलाल जातियान–जाट निवासीगण भावी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर 2. मूलाराम पुत्र चिमनाराम 3. पुखराम पुत्र चिमनाराम 4. ढगलीदेवी पत्नी चिमनाराम 5. गिरधारीराम पुत्र मिश्रीलाल 6. दयाराम पुत्र मिश्रीलाल जातियान–जाट निवासीगण भावी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर मिश्रीलाल पुत्र जुंजारराम

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :— प्रार्थीगण की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता
अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से सरकारी पैरोकार
अप्रार्थी संख्या 2 ,3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही
अप्रार्थी संख्या 4 से 6 की ओर से:— श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता

निर्णय दिनांक :— 23/11/2021

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2228 रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम आयी हुयी है। उपरोक्त भूमि पूर्व में प्रार्थी संख्या 1 से 4 के पिता तथा प्रार्थी संख्या–5 के ससुर व प्रार्थी संख्या–6 के दादा तथा प्रार्थी संख्या–7 के पति शंकरलालजी की खातेदारी व कब्जाकाश्त की थी तथा उनके देहान्त के बाद भूमि पर कब्जा व काश्त प्रार्थीगण का चला आ रहा है। उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 2228 रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा को संलग्न नजरी नक्शा में मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ. के रूप में दर्शाया गया है, जिसे इस प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग समझा जावें। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2228 रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा का आपसी सहमति का बंटवाड़ा कराने हेतु अभी दिनांक 24.09.2019 को हल्का पटवारी के पास गये और भूमि खसरा नम्बर 2228 रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा का बंटवाड़ा करने हेतु का निवेदन किया, जिस पर हल्का पटवारी ने राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस देखकर प्रार्थीगण को बताया कि सेटलमेन्ट कर्मचारी ने भूलवश या त्रुटीवश आपकी भूमि के रकबे की पूरी तरमीम नक्शा में नही दर्शायी है, आप बंटवाड़ा करने से पूर्व नक्शा ट्रेस में तरमीम दुरूस्ती की कार्यवाही को करावे, उसके वाद ही आपका बंटवाड़ा किया जाना संभव है। ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2228 रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा का राजस्व नक्शा ट्रेस बनाया गया, तब राजस्व कर्मचारी ने लिपीकीय भूलवश खसरा नम्बर 2228 रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा की तरमीम संलग्न नजरी नक्शा मार्क ए.बी.सी.

सहायक कलक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

डी.ई.एफ. के अनुसार पूरा होता हैं एवं मौके पर इसी अनुसार प्रार्थीगण काबिज है। इस प्रकार प्रार्थीगण ने अपनी भूमि खसरा नम्बर 2228 रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा के पूर्वी दिशा की ओर स्थित मार्क अ ब की तरमीम को हटाकर तथा मार्क स द की तरमीम को नक्शा ट्रेस में दर्शाकर मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ. की तरमीम दुरूस्त कराने हेतु का यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है। ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 2228 के दक्षिणी दिशा की ओर अप्रार्थी संख्या 2 से 6 की भूमि खसरा नम्बर 2227/1, 2227 स्थित है। अप्रार्थी संख्या–2 से 6 की भूमि खसरा नम्बर 2227/1, 2227 के कब्जे व काश्त को लेकर कोई विवाद नहीं है, इस कारण अप्रार्थी संख्या–2 से 6 को प्रार्थना पत्र में प्रफोर्मा पक्षकार बनाया गया है तथा अप्रार्थी संख्या–2 से 6 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।उक्त मार्क ए. बी.सी.डी.ई.एफ. की भूमि पर की जाने वाली तरमीम से तथा मार्क स, द तरमीम दर्शाने से अप्रार्थी संख्या–2 से 6 का कोई हित प्रभावित नहीं होता है। अन्त में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 2228 रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा भूमि की तरमीम राजस्व नक्शा ट्रेस में संलग्न नजरी नक्शा में अंकित मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ. के अनुसार करने का आदेश फरमाया जावें तथा सेटलमेन्ट विभाग द्वारा जारी किया गया नक्शा ट्रैस में खसरा नम्बर 2228 के पूर्वी दिशा की ओर अंकित तरमीम मार्क अ, ब को हटायी जाकर संलग्न नजरी नक्शा में अंकित मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ. के अनुसार तरमीम करने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब करने का आदेश दिया गया। अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से सरकारी पैराकार उपस्थित हुये, अप्रार्थी संख्या–2, 3 के नोटिस बाद तामिल होकर प्राप्त हुये, लेकिन उनकी तरफ से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। अप्रार्थी संख्या–4 से 6 की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या–1 तहसीलदार बिलाड़ा ने जवाब प्रस्तुत किया गया, जो जवाब इस आधार का पेश किया गया कि ग्राम भावी (जे.बी.)तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 2228 रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा आयी हुयी है, यह भूमि पूर्व में प्रार्थी संख्या 1 से 4 के पिता तथा प्रार्थी संख्या–5 के ससुर व अप्रार्थी संख्या–6 के दादा तथा प्रार्थी संख्या–7 के पति शंकरलाल की खातेदारी भूमि थी, जिस पर कब्जा प्रार्थीगण का है। अन्त में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाड़ा के खसरा नम्बर 2228 रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा भूमि की तरमीम राजस्व नक्शा ट्रेस में पटवारी हल्का भावी की प्रस्तावित मौका कमीशनर रिपोर्ट अनुसार की जाती है तो कोई आपति नहीं है। तारीख पेशी 04.02.2020 को अप्रार्थी संख्या–4 से 6 ने वकालतनामा पेश किया, लेकिन कोई जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया एवं सीधा बहस में भाग लेने का निवेदन किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में बताया कि ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 2228 रकबा

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

22 बीघा 3 बिस्वा का पूरा रकबा मार्क ए.बी.सी.डी.ई.एफ. की भूमि पर होता है, जिसे नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावें। अप्रार्थी संख्या–4, 5, 6 के अधिवक्ता ने बहस में बताया कि अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा प्रस्तुत किया गया जवाब एवं फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 15.03.2021 के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो कोई आपति नही है। अप्रार्थी संख्या–1 ने जवाब में लिखे तथ्यों को दोहराया और फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 15.03.2021 में दर्शायी गयी प्रस्तावित भूमि के अनुसार तरमीम करने का निवेदन किया गया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। मौजूदा प्रार्थना पत्र में सम्पूर्ण दस्तावेजों तथा फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 15.03.2021 का अवलोकन करने से विदित होता है कि ग्राम भावी (जे.बी.) की भूमि खसरा नम्बर 2228 रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा का वक्त बंदोबस्त में लिपिकीय भूलवश या त्रुटिवश खसरा नम्बर को पूरा तरमीम नहीं किया गया है, जो अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 15.03.2021 में दर्शायी गयी प्रस्तावित भूमि की ताईद से होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है कि फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 15.03.2021 के अनुसार ग्राम भावी (जे.बी.) की भूमि खसरा नम्बर 2228 रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा की राजस्व नक्शा ट्रैस में लाल स्याही से तरमीम करें। तथा इसी मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 15.03.2021 में दर्शायी गयी प्रस्तावित भूमि की तरमीम ऑनलाईन नक्शा ट्रेस में दर्ज करें। मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 15.03.2021 को इस निर्णय के साथ अभिन्न अंग माना जायेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 23/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा